

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 301/2018

दायर दिनांक 23.08.2018

वादीगा

प्रतिवादीगण

1. राकेश कुमार पुत्र गणेशाराम
2. श्रीमती कमला पत्नी गणेशाराम
समस्त कुम्हार निवासी कीचक
तहसील-डीडवना, जिला-नागौर,
राजस्थान।

बनाम्

1. गणेशाराम पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी
कीचक तहसील डीडवना जिला नागौर राज0
2. तहसीलदार, डीडवना

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री चेनाराम थौरी वकील, वादीगण।
2. श्री कमल मोठ वकील प्रतिवादी सं0 01 की और सें।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 08.01.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है ग्राम कीचक में स्थित खेत खसरा सं0 02 रकबा 19 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 21 रकबा 14 बिस्वा, खसरा सं0 22 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 23 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 66 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 196 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 02 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 16.12.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवना ने अपने पत्रांक: 700 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारानु सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 700 दिनांक 19.03.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम कीचक में स्थित खेत खसरा सं0 02 रकबा 19 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 21 रकबा 14 बिस्वा, खसरा सं0 22 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 23 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 66 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 196 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 700 दिनांक 19.03.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारानु को स्वतन्त्र खातेदार कारतकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 700 दिनांक 19.03.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवना

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवना



डिक्री बमुकदमें इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 301/2018

दायर दिनांक 23.08.2018

वादीगण

प्रतिवादीगण

- राकेश कुमार पुत्र गणेशाराम
- श्रीमती कमला पत्नी
गणेशाराम समस्त कुम्हार
निवासी कीचक
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

- गणेशाराम पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार
निवासी कीचक तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0
- तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 08.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री चेनाराम थौरी वकील, वादीगण व की श्री कमल मोट वकील प्रतिवादी सं0 01 की और सें मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम कीचक में स्थित खेत खसरा सं0 02 रकबा 19 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 21 रकबा 14 बिस्वा, खसरा सं0 22 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 23 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 66 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 196 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 700 दिनांक 19.03.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 700 दिनांक 19.03.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिर्कांड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.01.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड डीडवाना
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जादावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड डीडवाना
डीडवाना